12/8/.. पत्रावली पेश हुई।

बहन रूपलाल पुत्री जगदीश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। वादग्रस्त साराजी ग्राम पीपाड़ शहर कुम्हारान, नम्बर 2606, 2606/2, के उपयोग व उपभोग सहखातेदारान का है। एवं एक सहखातेदार के विरुद्ध दूसरे खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा

में पारित करना न्यायालय उचित नहीं
समझता है। प्रत्येक कार्यालय के रिकॉर्ड
के संधारण होते हैं अतः प्रथम दृष्टया
मामला सुविधा का सन्तुलन व
अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर
प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध
करने में असफल रहे हैं। अतः प्रार्थिया
का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 212
R.T.I Act खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर तालिका
से कम हो

[illegible] अधिकारी [illegible]